(83)

लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

मध्याहन भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

एकीकृत शिक्षा परिसर, पेंशन बाड़ा, रायपुर
फोन नम्बर– 0771-2331384, 2331385 फैक्स नम्बर–0771-2445215

ज्ञाप क्रमांक/मध्यान्ह भोजन/एन. जी. ओ. निर्देश 2012–13/ 2012/788 रायपुर, दिनांक 18.09.2012

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
3. समस्त सहायक आयुक्त, आदिम कल्याण विभाग
   छत्तीसगढ़

विषय :– मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत एन.जी.ओ. की नियुक्ति हेतु मार्गदर्शन।

मध्यान्ह भोजन योजना एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है। उक्त योजना बच्चों के दर्ज संख्या में वृद्वि तथा शाला में अधिक से अधिक बच्चों की नियमित उपस्थिति के साथ बच्चों के स्वास्थ में सुधार लाना है।

मध्यान्ह भोजन योजना में उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के साथ – साथ निम्न उद्देश्य की पूर्ति होती है–

1. बच्चों में सामाजिक सदभाव का वातावरण निर्मित करना।
2. महिलाओं के सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
3. रसोईया–सह–सहायक को इस कार्य में संलग्न कर देश में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में योगदान देना।

2) इस योजना की सफलता के लिये, योजना में सामाजिक सहभगिता अनिवार्य है। अतः मध्यान्ह भोजन योजना का संचालन यथासम्भव स्थानीय महिला/माता स्वसहायता समूह , शाला प्रबंधन समिति /ग्राम पंचायत/ग्रामीण शिक्षा समिति,नेहरु युवा केन्द्र द्वारा नियुक्त स्थानीय नेहरू क्लब द्वारा किया जाना चाहिए।

3) योजना की नियमित मानिटरिंग स्थानीय लोगों द्वारा किया जाना चाहिये। इसके लिए यह आवश्यक है कि मध्यान्ह भोजन शाला परिसर में ही स्थानीय एजेंसी द्वारा बनाया जाना चाहिये जिससे बच्चों को पौष्टिक,स्वादिष्ट एवं गर्म खाना खिलाया जा सके।

4) केवल शहरी क्षेत्रों के लिये जहां शाला परिसर में किचन हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध न हो ऐसे शालाओं के समूह (संकुल) के लिये ही केन्द्रीकृत किचन बनाया जाना चाहिये। केन्द्रीकृत किचन ऐसे स्थान पर स्थित होनी चाहिये जहां से पके हुये गर्म भोजन का हाईजेनिक स्थिति में ही शालाओं तक आसानी से पहुँचाया जा सके।

इस केन्द्रीकृत किचन का संचालन किसी विश्वसनीय NGO को PPP (Public Private Partnership) मॉडल के आधार पर दिया जाना चाहिये। मध्याह्न भोजन योजना के संचालनकर्ता NGO को स्थानीय समुदाय के खान–पान संबंधी रुचि संस्कृति के ज्ञान के साथ–साथ सामूहिक भोजन करवाने की व्यवस्था संबंधी कार्य का पर्याप्त अनुभव होना चाहिये। यह भी महत्वपूर्ण है कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने में भोजन की निर्धारित मात्रा और गुणवत्ता बनाये रखने में NGO को सक्षम होने के साथ ही अपने कार्य के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिये। NGO के चयन में सावधानी बरतते हुये उसके कार्य का निरंतर मूल्यांकन किया जाना चाहिये।

5) NGO के चयन मे भारत शासन के गाइड लाईन के पैरा 3.9.1 का कड़ाई से पालन किया जाना है। इसके साथ ही NGO के चयन के पूर्व, निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखा जाना है

I. संचालन संस्था के द्वारा, NGO की स्थापना, शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अन्तर्गत किया गया है, तथा शासन से मान्यता प्राप्त है । संचालन संस्था के संविधान में NGO के कर्तव्यों एवं शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

II. संस्था के सभी , पदाधिकारियों , सदस्यों एवं कार्यालयिन व्यक्तियों के नाम तथा उनके कार्य एवं जिम्मेदारियों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। उक्त संबंधित व्यक्तियों के सार्वजनिक कार्यालय हो तो उस कार्यालय की समस्त जानकारी विशेष रूप से दिया गया है।

III. स्थानीय प्राधिकृत अधिकारी द्वारा NGO के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिये, इस अनुबंध में NGO के द्वारा, क्या कार्य किया जाना है और क्या नहीं किया जाना है, का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। बच्चों को दिये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता एवं मात्रा की जांच के लिये क्या प्रणाली अपनायी जायेगी इस बात की विस्तृत जानकारी अनुबंध में दिया जाना चाहिये।

IV. बच्चों के मध्यान्ह भोजन हेतु संलग्न ऐसे NGO के कार्यों की समीक्षा एवं उसका मूल्यांकन, विश्वसनीय विधि द्वारा प्रतिवर्ष कराया जाना है। आगामी वर्ष के लिये NGO के साथ, अनुबंध का विस्तार, मूल्यांकन से प्राप्त उसकी उपलब्धता एवं कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही किया जायेगा।

6) ऐसे शालाओं में जहां मध्यान्ह भोजन योजना का संचालन NGO द्वारा किया जाता है उन शालाओं में ,1 से 150 छात्र तक 1 रसोईया–सह–सहायक तथा 150 से ऊपर प्रत्येक 200 छात्र संख्या पर 1 अतिरिक्त रसोईया–सह–सहायक रखा जाना है। इस प्रकार छात्र संख्या के आधार पर रसोईया–सह–सहायक की संख्या निम्नानुसार होगी –

1.	1 से 150 छात्र पर	—	01
2.	151 से 350 छात्र पर	—	02
3.	351 से 550 छात्र पर	—	03
4.	551 से 750 छात्र पर	—	04

NGO के साथ अनुबंध एवं अनुबंध पश्चात, उसके द्वारा योजना के संचालन के पर्यवेक्षण में उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें ।

आयुक्त
लोक शिक्षण 18/9/2012
छत्तीसगढ़ रायपुर

ज्ञाप कमांक/मध्यान्ह भोजन/एन. जी. ओ. निर्देश 2012–13/ 2012/789 रायपुर, दिनांक 18.09.2012

प्रतिलिपि :

1. सचिव, छ0ग0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय डी.के.एस.भवन रायपुर को सूचनार्थ।
2. आयुक्त,आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास छत्तीसगढ़ रायपुर को सूचनार्थ ।

आयुक्त
लोक शिक्षण 18/9/2012
छत्तीसगढ़ रायपुर